उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 02 फाल्गुन, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 21 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख**)
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जल, सम्भरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 50(5)(क) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष, 2021-2022 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022) के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन (बैलेंस सीट) को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
9. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

   (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)
10. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
11. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**
12. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।
13. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

14. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

15. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

16. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

18. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

19. आवास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

20. आवास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

21. खेल मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

22. खेल मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

23. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

24. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

25. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

26. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

27. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

28. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

29. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री यशपाल आर्य, 2. श्री प्रीतम सिंह, 3. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, 4. श्री तिलकराज बेहड़, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्री काजी निजामुद्दीन, 7. श्री गोपाल सिंह राणा, 8. श्री फुरकान अहमद, 9. श्रीमती ममता राकेश, 10. श्री मनोज तिवारी, 11. श्री आदेश सिंह चौहान, 12. श्री विक्रम सिंह नेगी, 13. श्री सुमित हृदयेश, 14. श्री खुशाल सिंह अधिकारी, 15. ई. रवि बहादुर, 16. श्री विरेन्द्र जाति, 17. श्रीमती अनुपमा रावत तथा 18. श्री लखपत सिंह बुटोला।	"उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)
(ख) 1. मौ0 शहजाद	----- तदैव----

30. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

31. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

32. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

33. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूल रूप में यथा संस्तुत पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

34. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूल रूप में यथा संस्तुत पारित किया जाय।

35. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

36. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) निर्वाचन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 816267 हजार (रूपये इक्यासी करोड़ बासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(2) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 181907400 हजार (रूपये अठारह हजार एक सौ नब्बे करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(3) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1614662 हजार (रूपये एक सौ इक्सठ करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(4) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 18977394 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ सतानवे करोड़ तिहतर लाख चौरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(5) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 4787605 हजार (रूपये चार सौ अठहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख पांच हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(6) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 6530772 हजार (रूपये छः सौ तिरपन करोड़ सात लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(7) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 119091984 हजार (रूपये ग्यारह हजार नौ सौ नौ करोड़ उन्नीस लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(8) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 11148397 हजार (रूपये एक हजार एक सौ चौदह करोड़ तिरासी लाख सतानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(9) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 39670342 हजार (रूपये तीन हजार नौ सौ सड़सठ करोड़ तीन लाख बयालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(10) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12599466 हजार (रूपये एक हजार दो सौ उनसठ करोड़ चौरानवे लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(11) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 42929535 हजार (रूपये चार हजार दो सौ बयानबे करोड़ पंचानवे लाख पैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(12) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 28560202 हजार (रूपये दो हजार आठ सौ छप्पन करोड़ दो लाख दो हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(13) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 28820820 हजार (रूपय दो हजार आठ सौ बयासी करोड़ आठ लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(14) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 9329422 हजार (रूपये नौ सौ बत्तीस करोड़ चौरानवे लाख बाईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(15) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5088944 हजार (रूपये पांच सौ आठ करोड़ नवासी लाख चवालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(16) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 26829172 हजार (रूपये दो हजार छः सौ बयासी करोड़ इक्यानवे लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(17) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 9375490 हजार (रूपये नौ सौ सैतीस करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

37. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-

1. श्री संजय डोभाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में टिहरी बांध परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्र चिन्यालीसौड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाय।"

2. श्रीमती ममता राकेश — "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये कक्षा-8 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाकर कक्षा-12 तक कर दिया जाय।"

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बारिश के अभाव में पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर काश्तकारों को उनकी उपज का उचित प्रतिकर/मुआवजा शीघ्र भुगतान कराया जाय।"

4. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चौव्वन को राजस्व ग्राम घोषित किया जाय।"

38. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्ड को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।"

40. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

41. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।"

42. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद भवन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।"

43. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।"

44. श्री संजय डोभाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौंड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।"

45. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निर्माण किये जाने वाले मुख्य मार्गों के निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग के अन्तर्गत आने वाले सभी सीवर लाईन, पेयजल पाईप लाईन, भूमिगत विद्युत/दूरसंचार/गैस पाईप लाईन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए ताकि नवनिर्मित मार्गो को उक्त कार्य हेतु बार-बार खोदकर/क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।"

46. <u>निम्नलिखित नियम-105 के प्रस्तावों प्रस्तुतीकरणः-</u>

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व निर्मित रायपुर लालपुल (देहरादून) सरोणा-सुवाखोली-भवान-नगुण मोटर मार्ग को ऑल वेदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।"

2. श्री विक्रम सिंह नेगी, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति/परिस्थिति के मद्देनजर इस क्षेत्र को संविधान की पांचवी अनुसूची (शेड्यूल-5) में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाय।"

47. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

48. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

49. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन" कर दिया जाय।"

50. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ0बी0सी0 लोगों को आउट सोर्सेज के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।"

51. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनों को आयोग में प्रेषित किये जाने से पूर्व इनमें होने वाली अर्हता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम अन्य सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय।"

52. श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाय, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके।"

53. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

54. "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के थानों न्याय पंचायत में पीने के पानी का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में", श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गयी सूचना पर माननीय पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

55. "जनपद हरिद्वार के नगर पालिका परिषद्, मंगलौर द्वारा सम्पादित कार्यो में पायी गयी अनियमितता के कारण श्री दिलशाद अली, अध्यक्ष नगर पालिका मंगलौर, हरिद्वार के विरूद्ध पद एवं नगर पालिका की निधि का दुरूपयोग किये जाने के कारण उचित कार्यवाई किये जाने के सम्बन्ध में", श्री शहजाद, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गयी सूचना पर माननीय शहरी विकास मंत्री का का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 20 फरवरी, 2025

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

प्रथम सत्र, 2025
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार,
02 फाल्गुन, शक संवत्, 1946
(दिनांक : 21 फरवरी, 2025)

नत्थी 'क'
अल्पसूचित प्रश्न

श्री बृज भूषण गैरोला
10.02.2025

**क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि लगभग 05 वर्ष पहले जंगलों में चीड़ के पिरुल से बिजली उत्पादन की नीति बनाई गयी थी? क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में यह भी है कि राज्य में ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करने तथा स्वरोजगार देने के लिए उत्तराखण्ड रिनिरेवल एनर्जी डेवलमेंट एजेन्सी (उरेडा) के माध्यम से पिरुल से बिजली उत्पादन के लिए 21 प्रोजेक्ट आंवटित हुये थे, जिसमें से मात्र 06 प्रोजेक्ट ही लगे और उनमें से कई तकनीकी दिक्कतों के कारण बन्द हो चुके हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उरेड़ा द्वारा जो पिरुल से बिजली उत्पादन के 21 प्रोजेक्ट आंवटित किये जाने थे, उनमें से मात्र 06 प्रोजेक्ट आवंटन करने के उपरान्त 15 प्रोजेक्ट आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करने तथा स्वरोजगार हेतु पिरुल से बिजली उत्पादन की नीति के अनुरूप उरेडा के माध्यम से प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट आवंटित किये जाने पर विचार करेगी तथा पूर्व आवंटित 15 प्रोजेक्टों को शीघ्रातिशीघ्र लगाये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वैकल्पिक ऊर्जा

श्री आदेश चौहान
10.02.2025

**क्या गृह मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार में बड़ी संख्या में देश के पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रान्तों से आये हुए लोग जगह-जगह पर झुग्गी-झोपड़ियों में अथवा एक विशेष समुदाय की बस्तियों में आकर बस रहे है? क्या यह भी सत्य हैं कि इन लोगों ने उत्तराखण्ड के आधार कार्ड भी बना लिये है तथा इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है तथा इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध प्रतीत होती है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर, इनको वापस इनके मूल स्थान पर भेजने की किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह

नत्थी 'ख'
तारांकित प्रश्न

श्री विरेन्द्र कुमार
13.12.2024

*01. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में रासायनिक खाद्य एवं कीटनाशक दवा की सैम्पलिंग की जाती है? यदि हां, तो सैम्पल फेल होने पर दुकानदार का लाईसेंस निरस्त किया जाता है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड बनने के बाद कितने सैम्पल फेल हुए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि

श्री बृजभूषण गैरोला
16.12.2024

*02. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के किस-किस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है? क्या यह सत्य है कि प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है? क्या सरकार द्वारा राज्य के प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेचने के लिए कोई नीति बनाई गयी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

श्री सुरेश गढ़िया,
16.12.2024

"प्रथम गुरूवार के तारांकित 13 में स्थानान्तरित"

*03. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने एवं पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित एवं रोजगार प्रदान किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के साथ विधान सभा क्षेत्र कपकोट में देवभूमि उद्यमिता योजना एवं कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी है, का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्री बृजभूषण गैरोला
17.12.2024

*04. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में पिछले दो वर्षों में कितने रोजगार मेले लगाये गये हैं और राज्य के कितने बेरोजगार युवकों को आतिथि तक रोजगार मिल चुका है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि रोजगार मेले में जिन युवकों को कम्पनियों द्वारा रोजगार दिया गया है, उनमें से अधिसंख्य को नौकरी से हटाने की शिकायतें मिली हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में सेवायोजन विभाग से जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्री विरेन्द्र कुमार 17.12.2024	*05. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिये जाने हेतु किसानों को पॉलीहाउस लगाये जाने हेतु राज्य में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं तथा उक्त योजनाओं में किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गतिमान योजनाओं में दी जा रही जनपदवार सब्सिडी में भिन्नता होने की दशा में किसानों को समान रूप से सब्सिडी का लाभ दिये जाने हेतु सरकार द्वारा किसी कार्ययोजना पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है? यदि नहीं क्यों?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री दुर्गेश्वर लाल 17.12.2024	*06. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में दुकानों के आवंटन में अन्य राज्यों की भांति अनु0 जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य के लिए आरक्षण का प्राविधान किया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में सरकारी मण्डियों की दुकानों के आवंटन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व अन्य प्रदेशों की तर्ज पर आरक्षण व्यवस्था लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री महेश जीना 23.12.2024	*07. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि अधिकाशतः बंजर हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर हो चुकी भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी का विवरण उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री महेश जीना 24.12.2024	*08. क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ों से निकलने वाली छोटी-छोटी नदियों में मत्स्य पालन के लिए आतिथि तक कुल कितने सरोवर चयनित किये गये हैं और कुल कितने सरोवर विकसित किये गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आतिथि तक कुल कितने ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है? क्या सरकार मत्स्य पालन को स्थानीय निवासियों व समूहों को स्वरोजगार का प्रमुख आय का स्रोत बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	मत्स्य पालन

श्री महेश जीना 26.12.2024	**"एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त"** *09. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के कार्मिक विगत 17 वर्षो से पूर्ण मनोयोग से निरन्तर अपनी सेवाऐं दे रहे हैं? क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्ण करने वाले संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को नियमितीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले मनरेगा कार्मिकों की भी नियमितीकरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्रीमती पार्वती दास 30.12.2024	*10. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 व फेज-4 में कितने मोटर मार्गो के निर्माण एवं डामरीकरण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लम्बित हैं? क्या मंत्री जी इस बात से अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में वर्ष, 2011 की जनगणना के अनुसार 250 या 250 से अधिक व सड़क से विहीन ऐसे राजस्व ग्राम, जिनके तोकों की आबादी जोड़कर 250 या 250 से अधिक हैं उनको भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-3 व फेज-4 में मोटर मार्ग के निर्माण व डामरीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में वर्ष, 2011 की जनगणना के अनुसार 250 या 250 से अधिक सड़क से विहीन ऐसे राजस्व ग्राम, जिनके तोकों की आबादी जोड़कर 250 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों में मोटर मार्गो का निर्माण व डामरीकरण का कार्य करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.01.2025	*11. क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध विकास (श्वेत क्रान्ति) को बढ़ाने तथा स्वरोजगार के लिए दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें ऋण व अनुदान पर प्रारम्भ की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कोई रोडमैप (कार्ययोजना) बनायी गयी है? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	दुग्ध विकास
श्री उमेश कुमार 24.01.2025 श्रीमती ममता राकेश 07.02.2025 श्री विरेन्द्र कुमार 07.02.2025	***12.** क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार वित्तीय वर्ष, 2024-25 में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में वृद्धि करने जा रही? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

अतारांकित प्रश्न

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी 13.12.2024	01. क्या सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह फरवरी, 2024 में उपनल संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में धरना दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, मुख्य सचिव तथा सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संयुक्त मोर्चा को आश्वासन दिया गया था कि उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और समिति की कब-कब बैठकें की गयी तथा बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये? क्या सरकार समिति द्वारा निर्मित बिन्दुओं को सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
श्री सुरेश गढ़िया, 16.12.2024	02. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत् दो वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित गोट वैली प्रोजेक्ट एवं पौल्ट्री वैली योजना के तहत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दो वर्षों में उक्त योजनाओं से लाभार्थियों की आय में कितनी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में उक्त योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री सुरेश गढ़िया, 16.12.2024	03. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रमाड़ी, सकुचौना, किसमिला, नामतीचेटाबगड़ के साथ शामा घाटी के अन्य ग्राम पंचायतों में संतरे, नीबू, माल्टा एवं केले आदि की काफी अच्छी पैदावार होती थी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त ग्राम पंचायतों में फल आदि की मात्रा विगत वर्षों में न्यून होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में विशेषज्ञ टीम भेजकर अधिक से अधिक पैदावार की संभावनाएं तलाशेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री विरेन्द्र कुमार 16.12.2024	04. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में पशुओं एवं पशु चिकित्सकों की संख्या कितनी है और उनकी वितरण स्थिति कैसी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2023-24 में खुरपका और मुंहपका जैसे टीकों की कितनी खुराकें पशुओं पर लगाई गई एवं वर्ष, 2024-25 में खुरपका और मुंहपका के टीकों की कितनी खुराकें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या सरकार आगामी वर्षों में टीकाकरण हेतु कौन-कौन से विशेष प्रयास और कार्य योजनाएं बना रही है? यदि हां, तो उक्त का विवरण उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन

श्री बृजभूषण गैरोला 17.12.2024	05. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रेशम उत्पादन के लिए जिला सैक्टर, राज्य सैक्टर तथा केन्द्र सहायतित कितनी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के उद्यानों व निजी भूमि पर पिछले दो वर्षों में कितना रेशम कीट भोज्य पौधों का रोपण किया गया है और कितना रेशम कीटों का दो वर्ष में उत्पादन हुआ है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रेशम कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश के कितने रेशम कृषकों को आतिथि तक प्रशिक्षण दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री विरेन्द्र कुमार 17.12.2024	06. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पशु स्वास्थ्य को लेकर बने हेल्प लाईन नंबर 1962 टोल फ्री नंबर पर आतिथि तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है, क्या यह सत्य है कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय से नहीं होने के कारण प्रदेश में अनेकों पशुओं की मौत होने की खबरें सामने आ रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों हैं?	पशुपालन
श्री दुर्गेश्वर लाल 17.12.2024	07. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2013 से निर्माणाधीन जखोल से लिवाड़ी मोटर मार्ग का कार्य आतिथि तक पूर्ण नहीं हुआ है? क्या यह भी सत्य है कि मार्ग में भू-धंसाव/भूस्खलन को रोकने तथा मार्ग का परिवर्तित समरेखण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? क्या सरकार द्वारा जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा तथा भू-धंसाव/भूस्खलन एवं परिवर्तित समरेखण के अनुसार मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री खजान दास 18.12.2024	08. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम झंगेरी में बारात घर निर्माण की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि झंगेरी में बारात घर निर्माण हेतु मण्डी परिषद् में रु0 25.00 लाख का आंगणन स्वीकृति हेतु काफी लम्बे समय से लम्बित् है? क्या सरकार धनोल्टी विधान सभा के वि0ख0 जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम झंगेरी में बारात घर का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

श्री खजान दास 18.12.2024	09. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत गरखेत-द्वारागढ़ मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किये जाने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, टिहरी द्वारा काफी समय पूर्व आंगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है, किन्तु आतिथि तक उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त कार्य भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्तावों में कौन से चरण में प्रस्तावित है? क्या सरकार उपरोक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव जो शासन स्तर पर लम्बित है की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री महेश जीना 30.12.2024	10. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बेसहारा घूम रही है गाय, बैलों के संरक्षण हेतु कुल कितने गौशालाओं का निर्माण कराया गया है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा गायों को वृहद् रूप में छोड़ा जा रहा है, जिससे इनकी संख्या दिनप्रति दिन बढ़ती जा रही है एवं इन गायों द्वारा किसानों फसलों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है? क्या सरकार बेसहारा गायों को आश्रय देने हेतु गौशालाओं का निर्माण कर समुचित व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री महेश जीना 02.01.2025	11. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2017 से आतिथि तक कुल कितने मोटर मार्ग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत हुए हैं? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सल्ट में निर्मित मोटर मार्गों के नाम, निर्माण करने वाली फर्म व मदवार धनराशि आवंटन की सूची उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 06.01.2025	12. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन वर्ष, 2006 में प्रारम्भ किया गया था? क्या यह भी सत्य है कि ग्रामवासियों के द्वारा 17 नाली भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है? क्या सरकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थौलधार कण्डीसौड़ में प्रशिक्षण संस्थान का संचालन शीघ्र करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

श्री संजय डोभाल **06.01.2025**	13. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में पी0एम0जी0एस0वाई0 विभाग द्वारा वर्ष, 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम छोटीमणी से गढ़वालगाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान ग्रामीणों की क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का मुआवजा विभाग द्वारा नहीं दिया गया है? क्या सरकार इस प्रकरण का संज्ञान लेकर मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई कृषि भूमि का मुआवजा ग्रमीण को देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री संजय डोभाल **06.01.2025**	14. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सिड़क में थौली खण्ड नामे तोक से प्राथमिक विद्यालय होते हुए न्याल सिंह के घर तक मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए स्थानीय लोगों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है? क्या सरकार मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय होते हुए न्याल सिंह के घर तक सड़क का निर्माण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री महेश जीना **07.01.2025**	15. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में लाखोरी मिर्च का वृहद् पैमाने पर उत्पादन होता है और पूर्व में सरकार द्वारा लाखोरी मिर्च का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान किया गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उक्त योजना लागू है कि नहीं तथा वर्ष, 2022 से आतिथि तक सल्ट में लाखोरी मिर्च का उत्पादन करने वाले कुल कितने किसानों को प्रोत्साहित किया गया है? क्या सरकार लाखोरी मिर्च का उत्पादन करने वाले सभी किसानों को प्रोत्साहित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री महेश जीना **07.01.2025**	16. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मानिला में राजकीय पशु चिकित्सालय स्थापित है, का भवन जो वर्तमान में अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि उक्त चिकित्सालय में डाक्टर सहित स्टाफ के सारे पद रिक्त हैं और चिकित्सालय में किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार राजकीय पशु चिकित्सालय, मानिला में नव भवन निर्माण के साथ डाक्टर सहित स्टॉफ के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पशुपालन**

श्री प्रीतम सिंह पंवार 08.01.2025	17. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्टी के कास्तकारों द्वारा वर्ष, 2021-22 एवं 2022-23 में खरीफ एवं रबी फसलों का बीमा करवाया गया था? क्या यह सत्य है कि बीमित कम्पनी द्वारा किसानों की जमा की गयी प्रीमियम धनराशि के एक चौथाई से भी कम राशि का भुगतान किया गया है, जबकि नैनबाग उप तहसील क्षेत्रान्तर्गत के किसानों की जमा प्रीमियम धनराशि के सापेक्ष चार एवं पांच गुना अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है? क्या सरकार तहसील धनोल्टी क्षेत्रान्तर्गत किसानों की बीमित धनराशि का समुचित भुगतान करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.01.2025	18. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पशुपालकों को भेड़-बकरी पालन के लिए एक पशुपालक को कितनी भेड़ बकरियां अनुदान में दिये जाने का प्राविधान है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा पशुपालकों को भेड़ बकरी पालन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का विस्तार अथवा सभी इच्छुक वर्गो को अनुदान योजना में शामिल किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.01.2025	19. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर के मुख्यालय थत्यूड़ व कैम्पटी में पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण की मांग स्थानीय पशुपालकों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है? क्या सरकार थत्यूड़ व कैम्पटी में पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री संजय डोभाल 15.01.2025	20. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ बनचौरा के ग्राम पंचायत बनाड़ी में पशुपालकों द्वारा जंगलों में वनाग्नि के कारण नष्ट हो चुके हरी घास की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत बनाड़ी चारा नर्सरी के निर्माण की मांग की जा रही है? क्या सरकार ग्रामीणों की मांग को पूर्ण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री उमेश कुमार 21.01.2025	21. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कितने किसानों का फसल बीमा किया गया है? क्या सरकार इनका सम्पूर्ण विवरण सूची सहित सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

श्री उमेश कुमार
22.01.2025

"द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न 17 में स्थानान्तरित"

22. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक कितने किसानों की आर0सी0 काटी गयी है? क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **कृषि**

श्री प्रीतम सिंह पंवार
27.01.2025

23. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों विषयक एकीकृत परिपत्र संख्या-223/XI/17/56(21) 2007TC-1, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के बिन्दु 4.2 विधायक निधि अधीन बिना निविदा आमंत्रित किए अर्थात् विभागीय पद्धति (मस्टरौल) कार्यादेश (वर्क आर्डर) के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रु 5.00 लाख रखी गयी है? क्या सरकार बतायेगी कि रु0 5.00 लाख तक की सीमा वाले निर्माण कार्य विभागीय पद्धति/कार्यादेश के आधार पर कराये जा रहे हैं अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त में कोई संशोधन किया गया है? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त बिन्दु के आधार पर ही कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं? **ग्राम्य विकास**

श्री महेश जीना
28.01.2025

24. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-354/2019 के अनुरूप राजकीय इण्टर कॉलेज, मानिला व उसके समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि को फल पट्टी के रूप में विकसित किया जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज, मानिला व उसके समीपवर्ती क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में विकसित करने के लिए आतिथि तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या सरकार जनहित में राजकीय इण्टर कॉलेज, मानिला व उसके समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि को फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **उद्यान एवं फलोद्योग**

श्री अनिल नौटियाल
03.02.2025

25. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड गैरसैण में पी0एम0जी0एस0वाई0 के नव निर्मित मोटर मार्गो पर पुलों एवं एप्रोच का कार्य रुफ एण्ड ब्रिज कम्पनी के द्वारा कराया जा रहा है? क्या सरकार यह भी अवगत करायेगी कि इन पुलों से आवागमन शुरु हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ? **ग्राम्य विकास**

श्री प्रीतम सिंह पंवार **04.02.2025**	26. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय तथा मान्यता प्राप्त रा0जू0हा0/हाईस्कूलों/इण्टरमीडिएट कॉलेजों व महाविद्यालयों के वाचनालयों में गढ़वाली रामलीला पुस्तक की एक-एक प्रति छात्र-छात्राओं के अध्ययानार्थ रखे जाने हेतु विधायक निधि वर्ष, 2022-23 में 150 प्रतियों के क्रय किये जाने हेतु 0.90 लाख (नब्बे हजार) की धनराशि की स्वीकृति दिनांक 17 मार्च, 2023 को दी गयी थी? क्या सरकार बतायेगी कि अप्रैल, 2023 में विद्यालयों में पुस्तकें हस्तगत करवाकर, बीजक/फोटो/प्राप्ति रसीद इत्यादि पंजीकृत डाक द्वारा कार्यदायी संस्था कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित कर दिया गया था? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि संबंधित फर्म को आतिथि तक 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान क्यों नहीं कराया गया है? क्या सरकार द्वारा योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन न कराने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**ग्राम्य विकास**
श्री प्रीतम सिंह पंवार **04.02.2025**	27. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्षा न होने के कारण गेहूँ, जौ, राई, सरसों, आलू इत्यादि की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में वर्षा न होने के कारण फसलों की क्षति का मूल्यांकन करवाकर प्रभावित कास्तकारों को प्रतिकर/अनुतोष का भुगतान करायेगी? क्या सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में वर्षा के अभाव में उपरोक्त फसलों को हुई क्षति के आंकलन का कोई आंकड़ा तैयार किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवररण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री अनिल नौटियाल **04.02.2025**	**28.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैण में टैंटुडा-नैणी मोटर मार्ग (ब्रिटकुल कम्पनी) द्वारा निर्मित किया जा रहा है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण होकर यातायात हेतु प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**ग्राम्य विकास**
श्री संजय डोभाल **03.01.2025**	**29.** क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट में लगभग सभी ट्रेड संचालित हो रहे है? क्या यह भी सत्य हैं कि संस्थान में ड्राफ्ट्समैन सिविल का ट्रेड एवं अनुदेशक का पद स्वीकृत नहीं है? क्या सरकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट में ड्राफ्ट्समैन सिविल का ट्रेड एवं अनुदेशक का पद स्वीकृत करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**कौशल विकास एवं सेवायोजन**

श्री महेश जीना 08.01.2025	30. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत कैहड़गांव में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विकास योजनाओं को संचालित करने हेतु वर्ष, 2015-16 में एक नवीन केन्द्र की शुरुआत की गयी थी, जिसके लिए ग्रामवासियों द्वारा लगभग 200 नाली भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई थी? क्या यह भी सत्य है कि 8 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के उपरानत भी आतिथि तक कैहड़गांव कृषि विकास केन्द्र का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है? क्या सरकार जनहित में कैहड़गांव में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विकास योजनाओं को संचालित करने हेतु नवीन केन्द्र का कार्य प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री संजय डोभाल 15.01.2025	31. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनचौरा स्थित आई0टी0आई0 में क्षेत्रीय जनता एवं छात्र-छात्राओं की मांग के अनुसार फैशन डिजाईनिंग, कम्प्यूटर साईन्स एवं कोपा कम्प्यूटर के ट्रेडों का भी संचालन प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कौशल विकास एवं सेवायोजन
श्री दलीप सिंह रावत 05.02.2025	32. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत काण्डानाला गाड्यूं पुल-पुनौड़ी मोटर मार्ग पर 54 मीटर स्पान स्टील पुल का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होने से उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास

नत्थी "ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2025 की बैठक में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी, 2025 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

फरवरी, 2025

21 (शुक्रवार)

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानो में) (निरसन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2025 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
6. उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण **(10 मिनट)**
7. उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
8. उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
9. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
10. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
11. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**
12. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूलरूप में यथासंस्तुत पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

1. विभागावार निम्नलिखित अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्याः	05	निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	18	सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	20	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	26	पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	27	वन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	13	जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	19.	ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	22.	लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	16	श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	15	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	25	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

2. <u>निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-</u>

1. श्री संजय डोभाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में टिहरी बांध परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्र चिन्यालीसौड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाय।"
2. श्रीमती ममता राकेश	"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये कक्षा-8 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाकर कक्षा-12 तक कर दिया जाय।"
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बारिश के अभाव में पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर काश्तकारों को उनकी उपज का उचित प्रतिकर/मुआवजा शीघ्र भुगतान कराया जाय।"
4. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी,	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चौव्वन को राजस्व ग्राम घोषित किया जाय।"

3. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

4. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्ड को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।"

5. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

6. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।"

7. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद भवन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।"

8. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।"

9. श्री संजय डोभाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।"

10. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निर्माण किये जाने वाले मुख्य मार्गों के निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग के अन्तर्गत आने वाले सभी सीवर लाईन, पेयजल पाईप लाईन, भूमिगत विद्युत/दूरसंचार/गैस पाईप लाईन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए ताकि नवनिर्मित मार्गों को उक्त कार्य हेतु बार-बार खोदकर/क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।"

11. <u>निम्नलिखित नियम-105 के प्रस्तावों प्रस्तुतीकरणः-</u>

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार,	"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व निर्मित रायपुर लालपुल (देहरादून) सरोणा-सुवाखोली -भवान-नगुण मोटर मार्ग को ऑल वेदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।"
2. श्री विक्रम सिंह नेगी,	"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक स्थिति/परिस्थिति के मद्देनजर इस क्षेत्र को संविधान की पांचवी अनुसूची (शेड्यूल-5) में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाय।"

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

13. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

14. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन" कर दिया जाय।"

15. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ0बी0सी0 लोगों को आउट सोर्सेज के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।"

16. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनों को आयोग में प्रेषित किये जाने से पूर्व इनमें होने वाली अर्हता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम अन्य सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय।"

17. श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाय, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके।"

22 फरवरी (शनिवार)

विभागवार निम्नलिखित अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण चर्चा एवं मतदानः—

अनुदान संख्याः 01 विधान सभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —विवाद नहीं होगा।

02 मा0 राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

03 मंत्रिपरिषद् के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। —तदैव—

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

08 आबकारी विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —विवाद नहीं होगा।

10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

14. सूचना विभाग के अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।

21. ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।

24. परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

30. अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

31. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

1. विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।
2. **<u>निम्नलिखित नियम-54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-</u>**

1. काज़ी मौहम्मद निज़ामुद्दीन, "विधान सभा क्षेत्र मंगलौर, झबरेड़ा, जनपद-हरिद्वार एवं विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जनपद-उधमसिंह नगर के जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण संबंधी।"

2. काज़ी मौहम्मद निज़ामुद्दीन, "जनपद हरिद्वार में गंगनहर के ऊपर बने क्षतिग्रस्त पुलों को पुनः बनाये जाने के संबंध में।"

3. श्री दलीप सिंह रावत, "वर्तमान वन अधिनियम में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिये वन अधिनियम में शिथिलता प्रदान करने हेतु वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

4. श्री प्रदीप बत्रा "जनपद हरिद्वार के मुख्य मार्ग में सोलानी नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने संबंधी।"

नत्थी-"घ"

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः-05, 07, 18, 20, 26, 29, 11, 27, 13, 17, 12, 19, 22 ,28, 16 15 तथा 25

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. श्री यशपाल आर्य, 2. श्री प्रीतम सिंह, 3. श्री हरीश सिंह धामी 4. श्री तिलकराज बेहड़, 5. श्री फुरकान अहमद, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री मनोज तिवारी, 8. श्री आदेश सिंह चौहान, 9. श्री गोपाल सिंह राणा, 10. श्री विक्रम सिंह नेगी, 11. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, 12. श्री निजामुद्दीन 13. श्रीमती अनुपमा रावत, 14. श्री सुमित हृदयेश, 15. श्री खुशाल सिंह अधिकारी, 16. ई0 रवि बहादुर, 17. श्री विरेन्द्र जाति, 18. श्री लखपत बुटोला।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद	----तदैव---